

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 09/04/13

—:आज्ञा:—

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 19.04.12 के अधिक्रमण में सचिवालय में कार्यरत शासन सहायक सचिव एवं अनुभागाधिकारी को उनके कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाइल फोन के बिलों के पुर्नभरण की सुविधा निम्नानुसार वर्णित तालिका एवं शर्तों के साथ उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | पदनाम | दरें प्रतिमाह |
|---------|-----------------|---------------|
| 1. | शासन सहायक सचिव | ₹ 500/- |
| 2. | अनुभागाधिकारी | ₹ 400/- |

शर्त :-

1. निवासीय टेलीफोन अथवा पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन स्वयं सम्बन्धित अधिकारी के नाम से होगा तथा मोबाइल हैंडसेट एवं निवासीय टेलीफोन यंत्र भी स्वयं का निजी होगा।
2. निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाइल फोन पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय का पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजन किया जा सकेगा।
3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.11 के तहत जिन शासन सहायक सचिवगण/अनुभागाधिकारीगण को टेलीफोन+मोबाइल+इन्टरनेट (ब्राडबैंड) की सुविधा अनुज्ञेय है वह यथावत रहेगी।
4. बिलों का भुगतान सम्बन्धित टेलीफोन धारक द्वारा निजी तौर पर किया जाकर पुनर्भरण के लिये मूल बिल एवं बिल जमा की रसीद विधिवत् रूप से सत्यापित कर मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय को अपनी बैंक खाता संख्या अंकित करते हुये दो प्रतियों में सीधे ही प्रेषित की जावेगी तथा बिल एवं जमा की रसीद की फोटोप्रति सहित एक प्रति इस विभाग को भी पृष्ठांकित की जावेगी।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. सं0 131300123 दिनांक 05.04.13 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Self/-

(चन्द्र मोहन मीणा)

अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति. मुख्य सचिव, मा. राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
3. उप सचिव (निजी सचिव), मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव/अति. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
6. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों के अनुसरण में नियमानुसार बिलों का पुर्नभरण/भुगतान कराये जाने से पूर्व कृपया संदर्भित आदेशों की शर्तों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराली जाये।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

उप शासन सचिव